न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 43/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालयः– 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, 302020

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सोहनी देवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा,** जाति ब्राह्मण, निवासी गोकुल का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, हाल निवासी पट्टा नं. 38, ग्राम गोकुल का बास, बलाईयों का मौहल्ला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)
2. **रामावतार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा,** जाति ब्राह्मण, निवासी गोकुल का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)
3. **मुकेश कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा,** जाति ब्राह्मण, निवासी गोकुल का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)
4. **सुशील कुमार शर्मा पुत्र मिहन लाल,** जाति ब्राह्मण, निवासी गोकुल का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)
5. **जुगल किशोर पुत्र सुशील शर्मा** जाति ब्राह्मण, निवासी गोकुल का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)
6. **विकास कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत** जाति कुमावत, निवासी वार्ड नं. 6, गोकुल का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 28 जुलाई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 तां 6 क्रमशः **सोहनी देवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा, रामावतार शर्मा**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पुत्र सुशील कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा, सुशील कुमार शर्मा पुत्र मिहन लाल, जुगल किशोर पुत्र सुशील शर्मा एवं **विकास कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सोहनी देवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नं. 38, ग्राम गोकुल का बास, बलाईयों का मौहल्ला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 665 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता व सार्वजनिक चौक, पश्चिम दिशा में हीरादास कामड का मकान व बाडा, उत्तर दिशा में हीरादास कामड का मकान व रास्ता एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता भागीरथ का पट्टाशुदा भूखण्ड का शेष भाग स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹9,00,000/– (अक्षरे रूपये नौ लाख)** एवं **₹3,50,000/– (अक्षरे रूपये तीन लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री राहुल पारीक उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **सोहनी देवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा, रामावतार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा, सुशील कुमार शर्मा पुत्र मिहन लाल, जुगल किशोर पुत्र सुशील शर्मा** एवं **विकास कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सोहनी देवी पत्नी सुशील कुमार शर्मा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नं. 38, ग्राम गोकुल का बास, बलाईयों का मौहल्ला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 665 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता व सार्वजनिक चौक, पश्चिम दिशा में हीरादास कामड का मकान व बाडा, उत्तर दिशा में हीरादास कामड का मकान व रास्ता एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता भागीरथ का पट्टाशुदा भूखण्ड का शेष भाग स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **28 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर